राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.17(22)नविवि/नियम/2020 जयपुर, दिनांकः 29 जून, 2021

–: आदेश :–

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रभावी राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 में दिनांक 04.01.2021 को किए गए संशोधन के अंतर्गत आवंटित/विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्माण की अवधि निम्नानुसार निर्धारित है :–

1. नीलामी द्वारा लॉटरी से विक्रय किये गये भूखण्ड पर भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष।
2. पब्लिक चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन एवं अन्य संस्थानों के मामलों में आवंटन से 4 वर्ष में।

इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 में दिनांक 04.01.2021 को किए गए संशोधन के अंतर्गत निर्माण की अवधि लीजडीड/पट्टा जारी करने की दिनांक से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्त नियमों के प्रभाव में आने से पूर्व तत्समय प्रचलित नियमों (90–बी) के तहत रूपान्तरित एवं आवंटित भूखण्डों पर भी निर्माण हेतु उक्त 5 वर्ष की अवधि ही लागू होती है।

उक्त निर्माण अवधि को पेनल्टी लेकर बढाने की व्यवस्था भी उक्त नियमों में की गयी है जो निम्न प्रकार है :–

S.N.	Period from the date of Possession handed over/Issue Lease-deed	Levy
1.	After 5 year and upto 10 years	1% per year of the prevailing reserve price/residential price
2.	after completion of 10 year, the trust shall issue a notice to the allottee/lessee to complete the construction within a period of six month.	2% per year of the prevailing reserve price/residential for the period beyond 10 years including the notice period.

निर्माण की निर्धारित अवधि या बढायी गयी अवधि समाप्त होने के पश्चात ऐसे रिक्त भूखण्डों का आवंटन/विक्रय निरस्त करने का प्रावधान उक्त नियमों में विद्यमान है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कई भूखण्डों पर एक आवासीय इकाई के निर्माण की अनिवार्यता के प्रावधान की अनदेखी की जा रही है तथा निर्धारित अवधि के बाद भी भूखण्ड रिक्त पडे हुए हैं, साथ ही ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत/व्यवसायिक प्रयोजनों के बडे भूखण्डों पर निर्धारित अवधि में 1/5 भू–आच्छादन के निर्माण के प्रावधान की पालना नहीं की हुई है, इसकी वजह से भूखण्डों में कचरा–कूडा डाला जा रहा है, उन क्षेत्रों में विकास कार्य भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही नगरीय निकायों को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 02 अक्टूबर, 2021 से संभावित "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" से पूर्व इस प्रकार रिक्त पडे हुए भूखण्डों का सर्वे करवाकर संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देकर आवंटन/निरस्त करने की कार्यवाही करें, जो राज्य सरकार के स्तर पर निर्णित होने हैं, उनको दिनांक 31.08.2021 तक राज्य सरकार को भिजवाने की कार्यवाही करें।

आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner